निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—169 / 2022
दायरा दिनांक :—14.11.2022
निर्णय दिनांक :— 9.9.23

उनवान

हरिओम नागर पुत्र श्री भीमराज नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0

बनाम

1. राकेश पुत्र श्री देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दिलोदा तहसील बारां जिला बारां
2. ललित पुत्र श्री देवीशंकर जाति धाकड़ जाति धाकड़ निवासी ग्राम दिलोदा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. प्रदीप नागर पुत्र श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील बारां जिला
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

—**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 एवं 53 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 9.9.23

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री बाबूलाल जैन एड0— वादी
2. श्री सत्यनारायण मीणा एड0— प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 एवं 53 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम दिलोदा पटवार हल्का दिलोदा तहसील बारां में खसरा नं0 780 / 185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 779 / 184 पश्चिमी रकबा 0.03 हे0 व ... कुल 2 किता रकबा 4.74 हे0 स्थित है। ... प्रस्तुत वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। ... राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 01 ता 03 के नाम खातेदार कृषक दर्ज है। जिसमें तीनों खातेदारों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

1/3–1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 09.12.2021 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में से उसका जो 1/3 हिस्सा है का 32/79 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का हिस्सा 32/237 बिल एवज 8,20,000/– रूपये अक्षरे आठ लाख बीस हजार रूपये में वादी को बेचान किया, जिसका एक रजिस्टर्ड बयनामा उप पंजीयक बारां के समक्ष दिनांक 09.12.2021 को सम्पादित करवाया गया है। तथा कब्जा भी वादी को बेचान किये गये हिस्से के अनुरूप दिया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ने पूर्व में अपने हिस्से में से प्रतिवादी क्रम 3 को भी भूमि बेचान की थी, जो भूमि प्रतिवादी क्रम 3 को बेचान की, उससे लगवा भूमि वादी को 32/79 हिस्सा, उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान में से बेचा गया था, जो प्रतिवादी क्रम 03 से लगवा दक्षिणी ओर था, जिसपर वादी काबिज चला आ रहा है।

वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 को रूपये देकर भूमि खरीदी है। तथा कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बेईमानी आ गई व प्रतिवादी क्रम 01 ने प्रतिवादी क्रम 2 व 03 के साथ मिलकर माननीय न्यायालय में एक वाद धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट का दिनांक 06.12.2021 को पेश करवा दिया था, जिसका प्रकरण सं. 152/2021 है। जिसका उनवान ललित बनाम राकेश वगै0 हे। जिसका निर्णय राजीनामा के आधार पर दिनांक 29.07.2022 को उन्होंने करवा लिया, जिसमें प्रतिवादी क्रम 01 के हिस्से में जिस प्रकार हिस्सा बताया गया है। उस प्रकार हिस्सा बताकर प्राथमिक डिक्री जारी करवा ली, किन्तु इसमें भूमि वादी को बेची गई थी, जिस पर वादी का कब्जा था, प्रतिवादी क्रम 01 ने नहीं दर्शायी तथा अब प्रतिवादी क्रम 01 के मन में बेईमानी आ जाने से वह वादी को बेचान की गई भूमि का बंटवारा करने से इंकार हो रहा है। तथा वादी को बेचान की गई भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। तथा रहन रखना चाहता है। जिसका उसको कोई अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 06.11.2022 को प्रतिवादी क्रम 01 ने वादी को धमकी दी कि वह उसको बेची गई भूमि के कि ओर पैसे उससे लेगा तभी यह भूमि उसके खाते बंधने देगा तथा तभी खाता अलग करवायेगा, अन्यथा वह इस भूमि को ओर दीगर व्यक्तियों को बेचान करेगा तथा इस भूमि को बैंक के पास रहन रखकर ऋण प्राप्त करेगा तथा इन भूमियों को जबरन काश्त भी करेग। बमुश्किल वादी के समझाने से प्रतिवादी वापस गया, लेकिन ऐलानियां धमकी दे दी, कि आज नहीं तो कल वह इस भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करेगा व ऋण प्राप्त करेगा व कब्जा करके रहेगा। अतऐव वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 01 स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी के कब्जे काश्त में जबरन मदाखलत न तो स्वयं करें ना ही अपने [illegible] अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा वादी को शान्तिपूर्ण ढंग से [illegible] ने प्रतिवादी क्रम 1 से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामें से दिनांक 09.12.2021 [illegible] कीमतन भूमि खरीदी है। जिसपर वह काबिज है, अतः मुताबिक कानून बेचान कि[illegible] गये रजिस्टर्ड बेचाननामें की भूमि पर उसको खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

वादी उसके द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामें से खरीद की गई भूमि पर काबिज है किन्तु खाता शामलाती होने से काश्त करने में दुविधा आती है। अतऐव वादी के द्वारा खरीदा गया हिस्सा, पृथक से उसके नाम दर्ज करवाया जावें व उसका लगान भी जुदागाना कायम किया जावें व कब्जा भी उसी के अनुरूप दिलवाया जावें। वादी ने प्रतिवादी कम 04 के विधिक प्रतिनिधियों से कई बार आग्रह किया कि वे उसके द्वारा रजिस्टर्ड बेचानामा के आधार पर खरीद की गई भूमि पर वादी को खातेदार घोषित करें, किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तब वादी ने दिनांक 09.11.2022 को प्रतिवादी कम 04 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलक्टर, बारां को नोटिस कानूनी दिलवाय, जो उनको प्राप्त हो गया है, किन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं पंहुचायी। नोटिस की मियाद अभी समाप्त नहीं हुई है, किन्तु प्रतिवादी कम 1 वादग्रस्त भूमि को दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है। तथा इस प्रकार में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है इस कारण नोटिस मियाद समाप्त होने तक इंतजार किया जाना संभव नहीं हे। इसलिए धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करके वाद पेश करने की अनुमति ले ली गई है। वाद कारण वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड बेचाननामें से खरीद की हैख किन्तु उसके नाम दर्ज न करने के कारण तथा दिनांक 06.11.2022 को धमकी देने, नीज दिनांक 09.11.2022 को नोटिस देने के फलस्वरूप कोई सहायता नहीं पहुंचाने के फलस्वरूप दिनांक 09.11.2022 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से श्री सत्यनारायण मीणा एड0 का वकालतनामा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 244 ग्राम दीलोदा, नकल विक्रय पत्र दिनांक 09.12.21, नकल निर्णय व डिकी दिनांक 29.07.2022 उनवान ललित बनाम राकेश, नकल राजीनामा, नकल वाद पत्र धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट उनवान ललित बनाम राकेश वगै0 पेश की गई।

पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उप0 होकर राजीनामा पेश किया गया कि ग्राम दिलोदा, पटवार हल्का दिलोदा, तहसील बारां में खसरा नं0 779/184 पश्चिमी रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल 2 किता रकबा 4.74 हे0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 ता 3 के नाम 1/3–1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी कम 01 ने दिनांक 09.12.2021 को उपरोक्त भूमि में से उसका जो 1/3 हिस्सा है, [illegible] 32/79 अर्थात कुल भूमि का हिस्सा 32/237 बिल एवज 8,20,000/– रूपये वादी को बे[illegible] और एक रजिस्टर्ड बयनामा 09.12.2021 को वादी के पक्ष में [illegible] भी इसी अनुसार वादी को दिया। प्रतिवादी कम 1 ने पूर्व [illegible] से प्रतिवादी कम 3 को भी भूमि बेचान की थी, जो भूमि प्रतिवादी कम 3 को बे[illegible] की उससे लगवा भूमि वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

32/79 हिस्सा दोनों खसरा नं0 में बेचा गया है, जो प्रतिवादी कम 03 से लगवा दक्षिणी ओर है। अब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, जिसके मुताबिक ग्राम दिलोदा पटवार हल्का दीलोदा तहसील बारां की खसरा नं0 779/184 रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल 2 किता रकबा 4.74 हे0 में से 1/3 हिस्से का यानी 32/79 हिस्से पर वादी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम दिलोदा की खसरा नं0 779/184 पश्चिमी रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल रकबा 4.74 हे0 में से 1/3 हिस्से यानी 32/79 हिस्सा खातेदार राकेश ने हरिओम वादी को खसरा नं0 779/184 की पश्चिमी 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 की दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल 4.74 हे0 में से 4 बीघा बेचा है। खातेदारान ने बंटवारे की अंतिम डिक्री दावा सं0 152/2021 में दिनांक 12.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां से प्राप्त की है। उसके अनुसार राकेश का आराजी में मध्य का भाग है। इस मध्य भाग में से वादी हरिओम को खातेदार प्रदीप के बंटवारे में आयी आराजी हिस्से के उत्तरी ओर की आराजी ही रहेगी, का वादी के नाम पृथक से खाता दर्ज किया जावे और इसका लगान भी जुदागाना कायम किया जावे। उपरोक्त प्रकरण में 212 आर. टी. एक्ट में पूर्व में स्थगन आदेश जारी हो रहा है, जिसका नोट जमाबन्दी में लगा हुआ है। उस स्थगन आदेश को भी हटवाने में हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त भूमि पर पूर्व में जो बैंक से ऋण ले रखा था, वह भी प्रतिवादी ने जमा कर दिया है और उसका नोड्यूज भी प्राप्त कर लिया है।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्राावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दिलोदा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 244 के अनुसार प्रतिवादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी के नामा0 746 दिनांक 20.04.2020 बेचान का नोट अंकित है। नकल विकय पत्र दिनांक 09.12.21 के अनुसार राकेश पुत्र देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दीलोदा द्वारा हरिओम नागर पुत्र भीमराज नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम भैरूपुरा (कंवरपुरा भटजी) तहसील खानपुर झालावाड़ को अपने हिस्सा 1/3 का 32/79 अर्थात कुल का हिस्सा 32/237 आराजी का बेचान किया जाना पाया जाता है। इससे यह साबित होता हे। प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने हिस्से 1/3 का 32/79 हिस्सा वादी बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से किया गया है। सिजे अपने खातेदारी में दज्र करवाने का अधिकारी है। पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिससे वा[illegible] 1/3 हिस्सा का 32/79 हिस्सा [illegible] नहीं है। वादी का वाद खातेदारी में दर्ज करने में [illegible] किया जाना न्यायोचित है। मुताबिक राजीनामा राष्ट्रीय लोक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

::क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम दीलोदा तहसील बारां के खसरा नं0 779/184 रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल किता 2 रकबा 4.74 हे0 में से 1/3 हिस्से का यानी 32/79 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विंभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 169/2022	धारा 88,89,90,91,92, 53, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 09.09.2023
समक्ष : **श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः– श्री बाबूलाल जैन एड0–वादी		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री सत्यनारायण मीणा –प्रतिवादी

वाद शीर्षक

उनवान

हरिओम नागर पुत्र श्री भीमराज नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0

बनाम

1. राकेश पुत्र श्री देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दिलोदा तहसील बारां जिला बारां
2. ललित पुत्र श्री देवीशंकर जाति धाकड़ जाति धाकड़ निवासी ग्राम दिलोदा तहसील बारां
3. प्रदीप नागर पुत्र श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील बारां जिला
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम दीलोदा तहसील बारां के खसरा नं0 779/184 रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 780/185 दक्षिणी रकबा 4.71 हे0 कुल किता 2 रकबा 4.74 हे0 में से 1/3 हिस्से का यानी 32/79 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विंभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 09.09.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम **डिक्री**

वाद संख्या 169/22	धारा अंतर्गत 88,89,90,91,92,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 8.2.24
समक्ष - श्री दीपक मित्तल आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन		अभिभाषक प्रतिवादी सत्यनारायण मीणा

वाद शीर्षक

हरिओम नागर पुत्र श्री भीमराज नागर जाति धाकड निवासी भैरूपुरा तह० खानपुर जिला झालावाड

बनाम

1. राकेश पुत्र देवीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम दिलोदा तह० बारां
2. ललित पुत्र देवीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम दिलोदा तह० बारां
3. प्रदीप नागर पुत्र सीताराम जाति धाकड निवासी ग्राम भैरूपुरा तह० बारां
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा
1- हरिओम पुत्र भीमराज नागर जाति धाकड सा० भैरूपुरा	780/185	0.6360
	779/184	0.0040
	कुल किता 2	0.64
2- प्रदीप नागर पुत्र सीताराम जाति धाकड सा० कन्वरपुरा कण्ड तह० खानपुर जिला झालावाड रहन - बडौदा राज० ग्रामीण बैंक आमापुरा	780/185	1.57
	779/184	0.01
	कुल किता 2	1.58
3- राकेश पुत्र देवीशंकर जाति धाकड सा० दिलोदा रहन :- बैंक ऑफ बडौदा कोटा रोड बारां	780/185	0.9340
	779/184	0.0060
	कुल किता 2	0.94

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.2.24 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: Self Attested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

4. ललित पुत्र देवीशंकर जाति धाकड़ सा. डिलोदा हाल- बैंक ऑफ बड़ौदा कोटा रोड - बारां	780/185 779/184	1.57 0.01
	कि. 2	1.58

फ़रोक्तानुसार विभाजित आराजी वाके ग्राम डिलोद तह० बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन कर राजस रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी एवं उप ... बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:28 IST
Reason: SelfAttested